[2019] 9 एस. सी. आर. 94

एम/एस। एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड

वी.

तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

(2014 की सिविल अपील No.7574)

10 जुलाई, 2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 -

एस. 19 और एस। 21 (2) - अपीलीय प्राधिकरण ने संबंधित अपीलार्थियों द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया-इसके तहत निर्धारिती

1957 के अधिनियम या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के 2005 के वैट अधिनियम के प्रावधान, जैसा भी मामला हो-अपीलों को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि

अपीलार्थी प्रस्तुत करने की पूर्व शर्त का पालन करने में विफल रहे

स्वीकार किए गए कर के भुगतान का प्रमाण संबंधित के लिए देय है

निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी गई थी

संबंधित अपीलार्थी-अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित याचिकाएँ

अंकम्मा ट्रेडिंग मामले में समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एस में पहला परंतुक। 19 1957 का अधिनियम और एस। 31 एपी वैट अधिनियम के रूप में

मामला अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि से संबंधित हो सकता है।

और देरी को माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण का विवेकाधिकार

इस तरह की अपील दायर करना, उसमें निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक दूसरा परंतुक हालांकि उसी धारा का हिस्सा है, एक स्वतंत्र है

अपीलार्थी को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करने की शर्त

कर बकाया जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है

यहां तक कि

अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी में उच्च न्यायालय ने न्यायसंगत रूप से नोट किया था कि

उक्त परंतुक में किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रावधान नहीं है जिसके भीतर कर बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए-इसके लिए कोई स्पष्ट शर्त नहीं है - उस कर बकाया को जमा करें जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है, इसे दाखिल करने, संस्था या प्रस्तुति के समय -

प्रदान की गई सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर अपील इसके लिए और बाद में, निर्दिष्ट कर बकाया जमा करें लेकिन इससे पहले कि

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए अपील की जाती है

पहली बार, चाहे वह अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए हो

और/या इसे गुण-दोष या अन्यथा स्वीकार करना-इस तरह के भुगतान का प्रमाण

वहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर, अपीलीय प्राधिकरण को उस मामले में अपील को अस्वीकार करना होगा-अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में अपील दायर करना, स्थापित करना या पेश करना "पहली बार" विचार के लिए ली जा रही अपील की तुलना में एक स्वतंत्र घटना है-यह संभव है कि कोई बेईमान वादी (निर्धारिती) सीमा अवधि के भीतर अपील दायर कर सकता है, लेकिन इसे दोष के तहत रख सकता है ताकि वह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए आगे न बढ़े।

इस तरह की शरारत को दूर करने के लिए, अपीलीय प्राधिकरण योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए प्रत्येक एकल अपील पर विचार करेगा और/या

पहली बार अपील दायर करने में देरी की क्षमा के लिए, उसके दाखिल करने, संस्थान या उसके कार्यालय में प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के बाद नहीं-निर्देश का सभी द्वारा पालन किया जाए।

बिना किसी अपवाद के सावधानीपूर्वक संबंधित-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया--लिखित याचिकाओं की अनुमति दी गई-संबंधित अपीलें अपीलीय प्राधिकरण की फाइल में बहाल कर दी गई हैं और

कानून के अनुसार माना जाता है-एपी वैट अधिनियम, 2005-एस के लिए दूसरा प्रावधान। 31 और प्रोविसो से एस। 33 (2) - तेलंगाना राज्य वैट अधिनियम, 2005-भारत का संविधान-कला। 136 - विलय का सिद्धांत क़ानूनों की व्याख्या।

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957-राज्य की शक्ति

1957 और 2005 अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण-चर्चा-एपी

वैट अधिनियम, 2005-तेलंगाना राज्य वैट अधिनियम, 2005।

अभ्यास और प्रक्रिया-फाइलिंग, संस्था या प्रस्तुति

विचार के लिए ली जा रही अपील के विरुद्ध अपील के बीच का अंतर-समझाया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संबंधित धारा में पहला परंतुक

(धारा 19 और धारा 31, जैसा भी मामला हो) से संबंधित है -

अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि; और ऐसी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण का विवेकाधिकार, उसमें निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक। वास्तव में, दूसरा परंतुक उसी धारा का हिस्सा है। हालाँकि, यह एक स्वतंत्र शर्त है और एक अर्थ में, पारस्परिक रूप से अनन्य शर्त है जो अपीलार्थी को कर बकाया के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य या आदेश देती है, जिसके संबंध में अपील [2019] 9 एस. सी. आर. है।

यह उचित रूप से नोट किया गया था कि उक्त परंतुक में किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रावधान नहीं है जिसके भीतर कर बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर बकाया जमा करने के लिए कोई स्पष्ट शर्त नहीं है, जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है, इसे दाखिल करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने के समय। इस तरह की स्पष्ट शर्त के अभाव में, यह आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए कि यह निर्धारिती के लिए कानूनी अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए खुला है इसके लिए दी गई सीमा और बाद में, निर्दिष्ट कर बकाया जमा करें, लेकिन अपील पर पहली बार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने से पहले-चाहे वह माफी के लिए हो।

लेकिन यह एक ऐसा प्रावधान है जो योग्यता के आधार पर या अन्यथा अपील पर विचार करने और/या पहली बार, जैसा भी मामला हो, उसे दायर करने में देरी को माफ करने के लिए पूर्व-आवश्यकता या अनिवार्य रूप से कर बकाया का भुगतान करने के लिए निर्धारित करता है। यह अपीलीय प्राधिकरण को विचार के लिए अपील स्वीकार करने से रोकने के लिए भी है। गुणों पर। यह सर्वविदित है कि अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में अपील दायर करना, स्थापित करना या प्रस्तुत करना अपील की तुलना में एक स्वतंत्र घटना है।

गुण-दोष के आधार पर या अन्यथा भर्ती किए जाने के लिए और/या इसे दाखिल करने में देरी की क्षमा के लिए, जैसा भी मामला हो, "पहली बार" विचार। कथित परंतुक की किसी अन्य तरीके से व्याख्या करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा न हो कि इसके परिणामस्वरूप, अनिवार्य रूप से, इसे फिर से लिखा जा सके और विधायी इरादे के साथ हिंसा की जा सके। संभवतः, मेसर्स में सुप्रीम कोर्ट। इसलिए, नवान्वेषी प्रणालियों और उसी के बाद दिए गए अन्य निर्णयों को निर्धारिती द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति देने और एम/एस को खारिज करने के लिए राजी किया गया।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए अपील पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पक्षकार। स्वीकार करते हुए, उच्चतम न्यायालय अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी के फैसले से अवगत था। इसमें, संबंधित अपील में उसके समक्ष चुनौती के तहत निर्णय उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले से ही लिए गए विचार पर आधारित था [अंकम्मा ट्रेडिंग सहित]

कंपनी]। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। इस मायने में, अंकम्मा ट्रेडिंग में कानूनी स्थिति की व्याख्या की गई है।

कंपनी, निहित रूप से खारिज कर दी गई थी, भले ही उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज या खारिज नहीं किया गया हो

अदालत। वास्तव में, मेसर्स में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। नवान्वेषी प्रणालियाँ, एक संक्षिप्त निर्णय है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक बार विशेष अनुमति याचिका मंजूर किए जाने के बाद, इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश एक आदेश बन गया जिसके खिलाफ अपील की गई और उसके बाद पारित कोई भी आदेश एक

अपीलीय आदेश और विलय के सिद्धांत को आकर्षित करना इस तथ्य के बावजूद कि आदेश उलटने या संशोधन का है या जिसके खिलाफ अपील की गई है और जिसमें शामिल है, उस आदेश की पुष्टि करने का है।

गैर-बोलने वाला। इस कानूनी स्थिति को फिर से स्थापित किया गया है

कुन्हयामद। प्रत्यर्थी का तर्क-यह बताएँ कि मेसर्स में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। नवान्वेषी प्रणाली और उसके बाद के अन्य निर्णयों को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

पूर्ववर्ती को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पारस 8-11] [109-G-H; 110-A-H; 111-A-G]

1.2 अपीलीय प्राधिकरण द्वारा क्षमा किए जाने वाले विलंब की अधिकतम अवधि से संबंधित पहला परंतुक भी "अपील स्वीकार करें" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। वह अभिव्यक्ति "स्वीकार करें",

हालाँकि, इसे अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में अपील दायर करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। जबकि, दूसरे परंतुक में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "स्वीकृत" को अभिव्यक्ति "मनोरंजन" के अनुरूप समझना होगा। जिस व्यवस्था में विचाराधीन प्रावधान प्रकट होते हैं, वह इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि अपील को पहली बार विचार के लिए लेने की स्थिति के लिए, इसे गुण-दोष या अन्यथा स्वीकार करने और/या अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए उत्तरदायी है।

जैसा कि मामला हो सकता है। उस घटना से पहले, यह [2019] 9 एस. सी. आर. के लिए खुला है।

अपीलार्थी कर बकाया जमा करने के लिए जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है और इस तरह की जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए

अपीलीय प्राधिकरण। इस विचार को रंजीत इम्पेक्स में उच्चतम न्यायालय के स्पष्टीकरण से पुष्ट किया गया है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है कि कर जमा करने का प्रमाण उस समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब अपील पर विचार किया जाता है, लेकिन दाखिल करने या दाखिल करने के समय नहीं। अपील की प्रस्तुति को बरकरार रखा गया है। यहां तक कि मेसर्स में इस न्यायालय का निर्णय भी। लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड,

प्रत्यर्थी द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया-राज्य, हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है-कि उक्त परंतुक का सही उद्देश्य यह है कि अपीलीय प्राधिकरण गुण-दोष पर सुनवाई के लिए प्रवेश के लिए अपील पर विचार करने के साथ आगे बढ़ेगा या

अन्यथा और/या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए, जैसा भी मामला हो, यदि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर बकाया के भुगतान का प्रमाण अपीलार्थी द्वारा अपील पर विचार करने की पहली तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। [पारस 12-14]

[112 - ए-एफ]

1.3 विचाराधीन अपीलों में, निश्चित रूप से, अपीलार्थी-निर्धारिती ने उस तारीख से पहले निर्दिष्ट कर बकाया जमा कर दिया था, जिस दिन उनके द्वारा दायर अपील को पहली बार योग्यता के आधार पर स्वीकार करने के लिए विचार के लिए लिया गया था। ऐसी स्थिति में, कथित परंतुक संस्थागत दोष के आधार पर अपील को अस्वीकार करने के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। इस दृष्टि से

चाहे जो भी हो, ये सभी अपीलें सफल होनी चाहिए। दी गई व्याख्या का लाभ उठाते हुए, यह संभव है कि कुछ बेईमान

वादी (निर्धारिती) सीमा अवधि के भीतर एक अपील दायर कर सकता है लेकिन इसे दोष के तहत रख सकता है ताकि वह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए आगे न बढ़े। इस तरह के एक को रोकने के लिए

शरारत, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलीय प्राधिकरण प्रवेश के लिए विचार के लिए प्रत्येक एकल अपील को लेने के लिए बाध्य होगा

पहली बार अपील दायर करने में देरी के गुण-दोष और/या क्षमा के लिए, अपील के कार्यालय में इसे दायर करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों के बाद नहीं।

प्राधिकरण। इस निर्देश का बिना किसी अपवाद के सभी संबंधितों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। राजस्व के हितों को सुरक्षित करने और साथ ही एम/एस के संबंध में परंतुक के अंतर्निहित उद्देश्य को प्रभावी बनाने का यही एकमात्र तरीका है।

कर बकाया की निर्दिष्ट राशि जमा करना। नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके बजाय रिट दायर की जाती है

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, संबंधित अपीलों को खारिज करते हुए याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

विचाराधीन प्रावधानों के बताए गए परंतुक का पालन न करने का आधार। संबंधित अपीलों को अपीलीय प्राधिकरण की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा। वही कानून के अनुसार विचार के लिए आगे बढ़ेगा। [पारस 16-18] [113-C-H;

114 - ए]

सिविल अपील Nos.4098/2016 और 4099/2016

1.4 अपीलों के इस समूह में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी-निर्धारिती ने उनके द्वारा दायर अपील के बाद राशि जमा की।

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस अर्थ में, अपीलार्थी निर्धारिती कर बकाया के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके संबंध में अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील की गई थी जब उनकी अपील को प्रवेश के लिए विचार के लिए लिया गया था। परिणामस्वरूप, अपील की अस्वीकृति के बाद की गई जमा राशि, विचाराधीन बताए गए परंतुक के अधिदेश के आलोक में, अपीलार्थी-निर्धारिती के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। [पारस 19,20] [114-बी-डी]

सिविल अपील No.8452/2016

1.5 यदि प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील अभी भी लंबित है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अभी तक विचार के लिए नहीं ली गई है, तो केवल तभी प्रत्यर्थी के लिए आवश्यक राशि जमा करने और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष ऐसी जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। यदि, तथापि, योग्यता के आधार पर स्वीकार किए जाने के लिए अपील पर पहले ही विचार किया जा चुका है या

अन्यथा और उस तारीख तक प्रत्यर्थी ने बताए गए परंतुक के संदर्भ में निर्धारित आवश्यक राशि जमा नहीं की थी, अपीलीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में होगा और इसके बजाय एक संस्थागत दोष के आधार पर अपील को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। [पैरा 23] [115-सी-ई]

2019 की सिविल अपील संख्या 5343

1.6 विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और पक्षों को [2019] 9 एस. सी. आर. पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेजा जाता है।

लिखित याचिका No.837/2014 कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर नए सिरे से और सिविल अपील No.7574/2014 में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में आज निर्णय लिया गया। रिमांड रिट याचिका में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को खुला छोड़ दिया गया है अपने गुणों और कानून के अनुसार माना जाता है। [पैरा 33] [119-ए-बी]

सिविल अपील No.10670/16

1.7 पक्षकारों को कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेजा जाता है। दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी प्रश्नों और तर्कों को उच्च न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस 38,39]

[121 - डी-ई]

सिविल अपील No.3349/2018

1.8 वर्तमान अपील में, अपीलार्थी को सिविल अपील No.7574/में पहले से तय किए गए प्रश्न को उठाने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

2014 क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी ध्यान में नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी ने निर्दिष्ट कर बकाया जमा किया था, जिसके संबंध में अपील दायर की गई थी, विचार की पहली तारीख से पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने मूल आदेश को चुनौती देने के गुण-दोष पर विचार किया है, रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और चूंकि उस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए इस अपील को अलग कर दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि इसे पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को चुनौती देने पर अलग से सुना जाए। आगे बढ़ने की अपील

तदनुसार। [पारस 40,41] [121-एच; 122-ए-बी]

अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी बनाम। अपीलीय डिप्टी कॉम मिशनर (सीटी), गुंटूर और ए. एन. आर. (2011) 44 वीएसटी 189 (एपी); मेसर्स। आई. ओ. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, प्रतिनिधि।

इसके उप प्रबंधक (लेखा) v. आंध्र राज्य प्रदेश प्रतिनिधि। सरकार के प्रधान सचिव द्वारा (उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.12.2016 in

सिविल अपील No.12077/2016); मेसर्स। रानीसाती ट्रेडिंग कं. प्रतिनिधि। इसके प्रबंध भागीदार बनाम। वाणिज्यिक कर

अधिकारी, गाजुवाका सर्कल, विशाखापत्तनम और अन्य। (उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.04.2017 मेसर्स में।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस।

कानपुर और अन्र। [1968] 1 एस. सी. आर. 505; नारायण चंद्र घोष बनाम। यूको बैंक और अन्य (2011) 4 एससीसी 548:

[2011] 3 एस. सी. आर. 1024-संदर्भित।

एम/एस। इनोवेटिव्स सिस्टम्स, प्रतिनिधि। इसके प्रबंधन द्वारा

भागीदार वी। आंध्र प्रदेश राज्य, प्रतिनिधि। प्रधानाचार्य द्वारा

सरकार के सचिव (उच्चतम न्यायालय का निर्णय)

सिविल अपील में दिनांक 23.02.2015 No.2230/2015);

कुन्हयमद और ओआरएस। वी. केरल और अन्र राज्य।

(2000) 6 एससीसी 359 [2000] 1 पूरक। एससीआर 538; रंजीत इम्पेक्स बनाम। अपीलीय उपायुक्त और अन्र.

(2013) 10 एस. सी. सी. 655 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

(2011) 44 वीएसटी 189 (एपी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

उस पर भरोसा करें

(2013) 10 एस. सी. सी. 655

पैरा 4

[1968] 1 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2011] 3 एससीआर 1024

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7574

14

उच्च न्यायालय के 17.09.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

लिखित याचिका में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की प्रशंसा

5384 2013 का

के साथ

सिविल अपील सं। 10433 2014 का 2084,2015 का 4098,4099,8452,

0 2016 का, 2018 का 3349,2019 का 5343 और 5345।

बी. आदिनारायण राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. एम. वी. के. मूर्ति, आर. अय्याम

नल, हितेंद्र नाथ रथ, योगेश रावी, विष्णु शंकर जैन,

यूरेखा रमन, पुरुषोत्तम कुमार झा, अखिल ए. रॉय, साहिल सिंह,

के. जे. जॉन एंड कंपनी, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, प्रशांत उर, सुश्री शोभा राममूर्ति, श्री राम जे. थलपति, शिल्प विनोद, [2019] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुश्किन राजकुमार, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, मेसर्स। वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स, एस. उदय कुमार सागर, नरेश कुमार, डी. महेश

बाबू, अधिवक्ता। पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

सिविल अपील Nos.7574/2014,10433/2014,2084/2015 और

2019 की सिविल अपील No.5345

(एस. एल. पी. से उठना। (ग) 2019 का No.6880)

1. 2019 के एसएलपी (सी) No.6880 में दी गई छुट्टी।

2. ये दीवानी अपीलें द्वारा पारित आदेशों से निकलती हैं

अपीलीय प्राधिकरण ने संबंधित द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया अपीलार्थी (ओं), यथास्थिति, ए. पी. जी. एस. टी. अधिनियम, 1957 या ए. पी. वैट अधिनियम, 2005 या तेलंगाना राज्य वैट अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, इस आधार पर कि अपीलार्थी-निर्धारिती देय स्वीकार किए गए कर के भुगतान का प्रमाण या ऐसी किश्तों का जो दी गई हों, और/या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किए गए कर और अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए कर के अंतर का साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने की पूर्व शर्त का पालन करने में विफल रहा था। तेलंगाना राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के संबंध में भी इसी तरह की स्थिति प्राप्त होती है।

3. उच्च न्यायालय ने दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया

आयुक्त (सी. टी.), गुंटूर और अन्य निर्णय एक ही दृष्टिकोण रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय को इंगित करने के बावजूद कि अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स में निहित रूप से खारिज कर दिया गया है। इनोवेटिव्स सिस्टम्स, प्रतिनिधि। इसके प्रबंध भागीदार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, प्रतिनिधि द्वारा। द्वारा सरकार के प्रधान सचिव 2. उस मामले में, इस न्यायालय के बाद

' (2011) 44 वीएसटी 189 (एपी) 2 सिविल अपील No.2230/2015 (23 फरवरी, 2015 को तय किए गए एसएलपी (सी) संख्या 1832/2015 से उत्पन्न)।

एम/एस। एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दायर रिट याचिका को खारिज करने के लिए उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ [अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में] द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर भरोसा किया था, फिर भी अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। उस मामले में अपीलार्थी ने सीमा अवधि के भीतर अपील दायर की थी, लेकिन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कर के अंतर का साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) जमा किया था, जिसके संबंध में संबंधित प्रावधान के पहले परंतुक में निर्दिष्ट सीमा अवधि की समाप्ति के बाद अपील की गई थी। फिर भी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) की निर्धारित राशि जमा कर दी है, जैसा कि अपील सहायक ने निर्देश दिया था।

आयुक्त (सी. टी.), उच्च न्यायालय को उस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में देरी को माफ कर देना चाहिए था और इस प्रकार अपीलीय प्राधिकरण को योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ अपील को बहाल करना चाहिए था। मेसर्स में इस न्यायालय के बाद के फैसलों पर भरोसा करना। आई. ओ. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, प्रतिनिधि। इसके उप प्रबंधक (लेखा) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य प्रतिनिधि द्वारा। सरकार के प्रधान सचिव और मेसर्स द्वारा। रानीसाती ट्रेडिंग कं. प्रतिनिधि। इसके प्रबंध भागीदार बनाम।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, गाजुवाका सर्कल, विशाखापत्तनम और Ors.4, अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय को उन निर्णयों की इस विशिष्ट आधार पर अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी कि उन्हें एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है और कथित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। जैसे, मेसर्स में निर्णय को देखते हुए। इस न्यायालय की अभिनव प्रणालियाँ (उपर्युक्त), इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त आदेश का प्रभाव अंकम्मा मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को निहित रूप से खारिज करने के लिए है। व्यापार कंपनी (उपरोक्त) या उसी के बाद अन्य निर्णय। क्योंकि, इस न्यायालय ने एक संक्षिप्त निर्णय द्वारा मामले का निपटारा करने के बावजूद, इसके खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से पहले उक्त आदेश के गुण-दोष पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाया था। इस प्रकार, इसके अतिरिक्त, विलय का सिद्धांत कुन्हयमद और ओआरएस में उजागर किया गया है। बनाम केरल राज्य और Anr.[3], जिसमें

तीन-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने राय दी कि एक बार विशेष अवकाश

3 (सिविल अपील No.12077/2016 का निर्णय 14.12.2016 पर) 4 (सिविल अपील No.5339/2017 का निर्णय 17.04.2017 पर) 5 (2000) 6 SCC 359 [2019] 9 S. C. R.

याचिका मंजूर कर ली गई है, इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए गए हैं और उसके बाद पारित कोई भी आदेश एक अपीलीय आदेश होगा और विलय के सिद्धांत की प्रयोज्यता को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आदेश पलटने का है या संशोधन का या बर्खास्तगी का, या आदेश की पुष्टि करने का है।

इसके खिलाफ अपील की। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रम बोलने वाला है या न बोलने वाला।

4. इसके अलावा, अपीलार्थी (ओं)-निर्धारिती (ओं) ने रंजीत इम्पेक्स बनाम अपीलीय डिप्टी मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

आयुक्त और Anr.6, जिन्हें तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 51 के रूप में कमोबेश समान प्रावधान से निपटने का अवसर मिला है, यदि समान रूप से नहीं कहा गया है। वहाँ भी प्रावधान निहित था

आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य से संबंधित विचाराधीन प्रावधानों का प्रावधान। तब यह आग्रह किया जाता है कि अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी पैराग्राफ 25 में इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि संबंधित धारा का परंतुक ऐसा नहीं करता है।

विशेष रूप से उस समय का उल्लेख करें जिसके भीतर भुगतान का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन फिर पहले परंतुक पर भरोसा किया जाता है जो उस सीमा की अवधि से संबंधित है जिसके भीतर अपील दायर करने की आवश्यकता होती है और देरी की अधिकतम अवधि जिसे अपील द्वारा माफ किया जा सकता है।

प्राधिकरण, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट जमा राशि का भुगतान भी केवल ऐसे समय के भीतर किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलीय प्राधिकरण अपील को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है या दूसरे शब्दों में, इसे स्वीकार नहीं करता है।

5. अपीलार्थी आग्रह करेंगे कि दायर करने के तथ्य, संस्था और अपील की प्रस्तुति और योग्यता के आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए अपील या उसके विचार का "मनोरंजन" करने के तथ्य के बीच अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतर है। यदि प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "दायर किए जाने पर अपील" दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट राशि के भुगतान की रसीद या प्रमाण के साथ होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय को दी गई व्याख्या को कायम रखा जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने स्वयं इस तथ्य को मान्यता दी है कि भुगतान का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने के समय के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इसका परिणाम यह है कि

(2013) 10 एससीसी 655 एम/एस।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निर्धारिती द्वारा भुगतान की पहली तारीख को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

योग्यता के आधार पर स्वीकार करने या उस पर विचार करने के लिए की गई अपील की सुनवाई। अपीलार्थी ने यह तर्क देने के लिए कुछ रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया है कि अपील का अधिकार, हालांकि, पक्ष में नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा उपाय प्रदान किए जाने के बाद दूसरे परंतुक की सख्त व्याख्या करके इसे कम नहीं किया जा सकता है। हालांकि, न्यायसंगत दृष्टिकोण यह होगा कि यदि विक्रेता संबंधित प्रावधान के दूसरे प्रावधान के अनुसार कर बकाया के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो "स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए" अभिव्यक्ति को "मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए" के रूप में पढ़ा जाए। तर्क का जोर यह है कि ऐसे मामलों में जहां अपीलकर्ता-निर्धारिती पहले ही संबंधित प्रावधान के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अपेक्षित राशि का भुगतान कर चुका है, अपील प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा अपील प्राधिकरण के कार्यालय में दाखिल करने के बाद "पहली बार विचार के लिए" अपील लेने से पहले, वह दूसरे परंतुक का पर्याप्त अनुपालन होगा। ऐसे मामले में, अपीलीय प्राधिकरण अपील को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा यदि वह गुण-दोष के आधार पर विचार करने का हकदार है और अपीलकर्ता निर्धारिती इस आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता है कि इस तरह से भुगतान की गई राशि अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट सीमा अवधि के बाद है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य ने अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) के मामले में स्पष्टीकरण का समर्थन किया है, और

यह आग्रह किया जाएगा कि उक्त निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण ही दूसरे परंतुक की एकमात्र संभावित व्याख्या है। इसमें, यदि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट राशि अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है और इसमें देरी की माफी भी शामिल है, तो ऐसी अपील संस्थागत दोष से ग्रस्त होगी और संबंधित प्रावधान के परंतुक में निहित जनादेश के आलोक में उस हिसाब से उसे खारिज करना होगा। यह आग्रह किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को आह्वान करने की गलत सलाह दी गई है

विलय का सिद्धांत। प्रत्यर्थी के अनुसार-राज्य, मैसर्स में इस न्यायालय के फैसले के नंगे अवलोकन पर। नवान्वेषी प्रणालियाँ (उपर्युक्त) और उसी के बाद पारित किए गए अन्य निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि इसे संबंधित मामले की तथ्य स्थिति में पारित किया गया है। विशेष रूप से, इस न्यायालय ने विचाराधीन प्रावधानों की व्याख्या नहीं की है या उस मामले के लिए अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच द्वारा व्याख्या किए गए सिद्धांत को स्पष्ट रूप से उलट दिया है। जबकि, प्रावधान के एक खाली पढ़ने से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है [2019] 9 एस. सी. आर.

कहने के लिए एक ही या इसी तरह का मनोरंजन करना, योग्यता के आधार पर इसे स्वीकार करना। मेसर्स के मामले में निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है। लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम सहायक। कॉम. बिक्री कर, कानपुर और Anr.7, जिसमें इस न्यायालय को संबंधित अधिनियम की धारा 9 की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। उस प्रावधान के अनुसार, एक के खिलाफ कोई अपील नहीं निर्धारण पर तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि उसके साथ अपीलार्थी द्वारा देय स्वीकार की गई कर राशि के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो। प्रतिवादी-राज्य के अनुसार, इस निर्णय में स्पष्टीकरण, दूसरे परंतुक की किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी में किया गया है।

(ऊपर)। इसमें, अपीलीय प्राधिकरण वैधानिक अवधि से परे अपील को स्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और चूंकि पूर्व-जमा सार है, इसलिए अपील दायर करने के लिए सीमा की अधिकतम अवधि के भीतर पूर्व-जमा की आवश्यकता, जिसमें इसे दायर करने में देरी को माफ करना भी शामिल है, संबंधित प्रावधान के दूसरे परंतुक पर असर डालती है। रिलायंस को नारायण चंद्र घोष बनाम यूको बैंक और Ors.³ के फैसले पर भी रखा गया है, जिसमें एक निर्णय लिया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की धारा 18 के उद्देश्य की व्याख्या करने का अवसर

ब्याज अधिनियम, 2002 जिसमें न्यायालय ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील करने की पूर्ण शक्ति है जब तक कि -

पूर्ववर्ती शर्त, जैसा कि निर्धारित किया गया है, पूरी होती है। प्रत्यर्थी-राज्य, इस प्रकार, यह तर्क देगा कि अपील की अस्वीकृति से पहले (संबंधित प्रावधान के परंतुक के संदर्भ में पूर्व शर्त का पालन न करने के लिए) निर्धारिती द्वारा जमा किए जाने पर भी, इसका कोई लाभ नहीं होगा -

मूल्यांकनकर्ता। 7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। शुरुआत में, हम प्रासंगिक को पुनः पेश करना उचित समझते हैं।

एपीजीएसटी अधिनियम, 1957 और एपी वैट अधिनियम, 2005 के प्रावधान। तेलंगाना राज्य अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान प्राप्त होते हैं। एपीजीएसटी अधिनियम, 1957 की धारा 19 और 21 और एपी वैट अधिनियम, 2005 की धारा 31 और 33 इस प्रकार हैं:

(1968) 1 एस. सी. आर. 505 $(2011) 4 एस. सी. सी. 548 एम/एस.

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" एपीजीएसटी अधिनियम, 1957

ए. पी. वैट अधिनियम, 2005

धारा 19. अपील करते हैं। - (1) किसी भी

31. अपीलीय प्राधिकारी से अपील करें। -

(1)

किसी भी आदेश पर आपत्ति जताने वाला विक्रेता

कोई भी वैट विक्रेता या टी. ओ. टी. विक्रेता या

कोई भी

पारित या दर्ज की गई कार्यवाही

किसी भी आदेश पर आपत्ति जताने वाला अन्य

विक्रेता

प्रावधानों के तहत कोई भी प्राधिकरण

किसी द्वारा पारित या अभिलिखित कार्यवाही

के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण

एक आदेश के अलावा अधिनियम का

पारित या दर्ज की गई कार्यवाही

पारित आदेश के अलावा अन्य कार्य या

एक अतिरिक्त आयुक्त या

एक अतिरिक्त द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही

संयुक्त आयुक्त, या उप आयुक्त

आयुक्त या संयुक्त आयुक्त

उप-धारा के तहत आयुक्त

या उपायुक्त, के भीतर

जिस तारीख से तीस दिन

(4(ग) धारा 14 के अधीन हो सकता है -

उस पर आदेश या कार्यवाही की गई थी,

जिस तारीख से तीस दिन

आदेश या कार्यवाही थी

ऐसे प्राधिकारी से अपील करें जो हो सकता है

उस पर सेवा की, इस तरह की अपील

निर्धारित किया गयाः

प्राधिकरण जो विहित किया जाएः

बशर्ते कि अपील

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी

प्राधिकरण आगे के भीतर हो सकता है

तीस की एक और अवधि के भीतर हो सकता है

ए के बाद वरीयता दी गई अपील को स्वीकार करने के दिन

तीस दिनों की अवधि स्वीकार करें

एक अवधि के बाद अपील की जाती है

तीस दिनों की अवधि यदि वह संतुष्ट है

तीस दिन अगर वह संतुष्ट है कि

कि वैट विक्रेता या टी. ओ. टी. विक्रेता या

विक्रेता के पास पर्याप्त कारण था

किसी अन्य विक्रेता के पास पर्याप्त कारण था

भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देना

इसके भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देना

उस अवधिः

अवधिः

बशर्ते कि एक अपील इस प्रकार

बशर्ते कि एक अपील इस प्रकार

वरीयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा

द्वारा अधिमानित नहीं किया जाएगा

संबंधित अपीलीय प्राधिकारी जब तक कि

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा

जब तक विक्रेता चिंतित न हो

विक्रेता भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करता है

देय माना गया कर, या ऐसा

भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करता है

देय माना गया कर, या ऐसा

किश्तें जो दी गई हैं, और

साढ़े बारह के भुगतान का प्रमाण

किश्तें जो दी गई हैं, और भुगतान का प्रमाण

कर के अंतर का प्रतिशत

साढ़े बारह प्रतिशत

निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया

और

द्वारा निर्धारित कर का अंतर

अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए कर के लिए,

निर्धारण प्राधिकरण और कर

संबंधित कर अवधि, के संबंध में

अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया, के लिए

जिसे अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रासंगिक मूल्यांकन

वर्ष में

जिसके संबंध में अपील की जाती है

पसंद किया जाता है।

21. अपीलीय 33 में अपील करें। अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करें। - (1) न्यायाधिकरण पर आपत्ति जताने वाला कोई भी विक्रेता। - (1) पारित आदेश या कार्यवाही पर आपत्ति जताने वाला कोई भी विक्रेता

पारित आदेश या कार्यवाही के लिए

रिकॉर्ड किया गया

रिकॉर्ड किया गया

(क) किसी भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा

((क) विहित किसी प्राधिकारी द्वारा,

धारा 19 के तहत अपील, या

धारा 31 के तहत अपील, या

अतिरिक्त

(ख)

अतिरि

क्त

(ख)

द्वारा

द.

द्वारा

अ.

कमिश्नर

आयुक्त,

संयुक्त

संयुक्त

या

या

आयुक्त या डिप्टी

आयुक्त या डिप्टी

आयुक्त ने स्वतः संज्ञान लिया

धारा के तहत आयुक्त

21 या 32 या 38; या

या (ग) की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित किसी प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के विरुद्ध अपील की जा सकती है

इसके तहत पारित निर्णय या आदेश

अपीलीय न्यायाधिकरण के भीतर

धारा 67;

तारीख से साठ दिन

मई

अपील में अपील करें

जो आदेश या कार्यवाही

से साठ दिनों के भीतर न्यायाधिकरण

उसे परोसा गया।

तारीख जिस पर आदेश या

उस पर कार्यवाही की गई।

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण कर सकता है

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण कर सकता है

साठ की एक और अवधि के भीतर

साठ की एक और अवधि के भीतर

अपील स्वीकार करने के कुछ दिन बाद

वे दिन जब अपील को स्वीकार किया जाता है

में निर्दिष्ट साठ दिनों की अवधि

साठ दिनों की अवधि के बाद

उप-धारा (1), यदि वह संतुष्ट है	उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट, यदि वह है -
कि विक्रेता के पास पर्याप्त कारण था	संतुष्ट था कि विक्रेता के पास था
अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए	पसंद न करने के लिए पर्याप्त कारण
उस अवधि में।	उस अवधि के भीतर अपीलः
	बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई अपील न की जाए
बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई अपील न की जाए	
धारा 19 के तहत पारित आदेश	धारा 31 के तहत पारित आदेश
उप के तहत भर्ती किया जाएगा	उप के तहत भर्ती किया जाएगा
धारा (1) या उप-धारा (2),	की धारा (1) या उप-धारा (2)
	यह खंड जब तक यह नहीं है
जब तक कि इसके साथ न हो	संतोषजनक प्रमाण के साथ
भुगतान का संतोषजनक प्रमाण	
कर का पचास प्रतिशत	पचास प्रतिशत का भुगतान
अपीलीय उप द्वारा आदेशित	कर, जुर्माना, ब्याज या कोई
	द्वारा आदेशित अन्य राशि

धारा 19 के तहत आयुक्तः

धारा के तहत अपीलीय प्राधिकरण

31. " एम/एस। एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

भुगतान के संतोषजनक प्रमाण द्वारा	अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए कर का
देय हो या ऐसी किश्तों में हो	
जैसा कि देय हो सकता है	
मामला हो सकता है, और पँचिश प्रतिशत	
द्वारा आदेशित कर के अंतर का	
उप के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण	
धारा 20 की धारा (2) और कर	अपीलार्थी द्वारा स्वीकारः
बशर्ते कि मूल्यांकन	
प्राधिकरण उक्त राशि वापस करेगा।	साढ़े बारह प्रतिशत या बीस
पाँच प्रतिशत या पचास प्रतिशत	
जैसा भी मामला हो प्राधिकरण और	द्वारा स्वीकार और भुगतान किया गया कर
साधारण ब्याज के साथ अपीलार्थी	
18 प्रतिशत की दर से गणना की गई	
प्रति वर्ष यदि धनवापसी नहीं की जाती है	
तारीख से 60 दिनों के भीतर	
के तहत पारित आदेश की प्राप्ति	
धारा 19 या धारा 21।	

(जोर दिया गया)

8. डिवीजन बेंच ने इन प्रावधानों की व्याख्या की है।

अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) के मामले में उच्च न्यायालय।

हम अनिवार्य रूप से संबंधित अधिनियम की धारा 19 के दूसरे परंतुक और धारा 31 के पहले परंतुक से संबंधित हैं।1 (2) और संबंधित अधिनियम की धारा 33 (2)। समग्र रूप से विचाराधीन निष्कर्ष को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहला परंतुक

संबंधित धारा (धारा 19 और धारा 31, जैसा भी मामला हो)

ई) अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि से संबंधित है; और विवेकाधिकार

अपीलीय प्राधिकरण ऐसी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए, [2019] 9 एस. सी. आर.

उसमें निर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक। वास्तव में, दूसरा परंतुक उसी धारा का हिस्सा है। हालाँकि, यह एक स्वतंत्र शर्त है और एक अर्थ में, पारस्परिक रूप से अनन्य शर्त अनिवार्य या आदेश देने वाली है

अपीलार्थी, जिसके संबंध में कर देय राशि के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा

अपील को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी राय में, उस दायित्व का निर्वहन तब तक किया जा सकता है जब तक कि अपील प्राधिकरण द्वारा पहली बार अपील दायर करने में देरी को स्वीकार करने और/या क्षमा करने के लिए अपील पर विचार नहीं किया जाता है। हम इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से उल्लेख किया था कि उक्त परंतुक में किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रावधान नहीं है जिसके भीतर कर बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कर बकाया जमा करने के लिए कोई स्पष्ट शर्त नहीं है, जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है, इसे दाखिल करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने के समय। इस तरह की स्पष्ट शर्त के अभाव में, यह अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए कि निर्धारिती इसके लिए प्रदान की गई सीमा की वैधानिक अवधि के भीतर अपील दायर करने के लिए खुला है। और बाद में, निर्दिष्ट कर बकाया जमा करें, लेकिन इससे पहले कि अपील पहली बार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए ली जाए-चाहे वह अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए हो और/या इसे गुण-दोष पर या अन्यथा स्वीकार करने के लिए हो। इस तरह के भुगतान का प्रमाण वहां प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करने पर, अपीलीय प्राधिकरण के पास उस मामले में अपील को अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। अपीलीय प्राधिकरण के पास निर्दिष्ट कर बकाया जमा करने के लिए समय बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

लेकिन यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें योग्यता के आधार पर या अन्यथा अपील पर विचार करने और/या उसे दायर करने में देरी को माफ करने के लिए कर बकाया का भुगतान पूर्व-आवश्यक या अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। मामला पहली बार हो सकता है। यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो यह अपीलीय प्राधिकरण को अपील स्वीकार करने से रोकने के लिए भी है।

गुणों पर विचार करें। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में अपील दायर करना, स्थापित करना या प्रस्तुत करना एक स्वतंत्र घटना है, बजाय इसके कि अपील पर विचार किया जा रहा है।

पहली बार "गुण-दोष या अन्यथा स्वीकार किए जाने के लिए और/या इसे दाखिल करने में देरी की क्षमा के लिए, जैसा भी मामला हो। कथित परंतुक की किसी अन्य तरीके से व्याख्या करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा न हो कि इसके परिणामस्वरूप, अनिवार्य रूप से, इसे फिर से लिखा जा सके और विधायी इरादे के साथ हिंसा की जा सके। संभवतः, मेसर्स में यह न्यायालय। नवान्वेषी प्रणाली एम/एस।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(उपर्युक्त), और उसी के बाद दिए गए अन्य निर्णयों को, इसलिए, निर्धारिती द्वारा पसंद की गई अपील को अनुमति देने और पक्षकारों को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए खारिज करने के लिए राजी किया गया था।

योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए अपील करें।

10. स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) के फैसले से अवगत था। उसमें, संबंधित अपील में उसके समक्ष चुनौती के तहत निर्णय उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले से ही लिए गए विचार पर आधारित था।

[अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) सहित]। यह इस न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है। उस अर्थ में, कानूनी स्थिति में व्याख्या की गई अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त), निहित रूप से खारिज कर दी गई थी, भले ही उस निर्णय को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया गया हो।

11. प्रत्यर्थी का तर्क आगे बढ़ता है कि एम/एस में निर्णय। नवान्वेषी प्रणालियाँ (उपर्युक्त), न तो किसी विशिष्ट को संदर्भित करती हैं न ही इसने अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को स्पष्ट रूप से बदल दिया है।

इस प्रकार, इसे एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है। हम इस प्रस्तुति से प्रभावित नहीं हैं। वास्तव में, मेसर्स में इस न्यायालय का निर्णय। नवान्वेषी प्रणालियाँ (ऊपर), एक संक्षिप्त निर्णय है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक बार विशेष अनुमति याचिका मंजूर हो जाने के बाद, अपीलीय कार्यवाही के लिए दरवाजे खुल जाते हैं।

इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश एक आदेश बन गया जिसके विरुद्ध अपील की गई और उसके बाद पारित कोई भी आदेश एक अपीलीय आदेश होगा और इस तथ्य के बावजूद कि आदेश प्रत्यावर्तन या संशोधन का है या इसके खिलाफ अपील किए गए आदेश की पुष्टि करने का है और जिसमें बोलने वाला या न बोलने वाला भी शामिल है, विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा। इस कानूनी स्थिति को कुन्हयमद (ऊपर) में दोहराया गया है। यह कहने के बाद, हमें इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए

प्रत्यर्थी का-यह बताएँ कि मेसर्स में इस न्यायालय का निर्णय। नवान्वेषी प्रणालियाँ (उपरोक्त) और उसी के बाद के अन्य निर्णयों को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है।

12. इसके अलावा, अपीलार्थी-निर्धारिती ने रंजीत इम्पेक्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर उचित रूप से भरोसा किया है। उस मामले में,

अदालत ने तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 51 में लगभग इसी तरह की शर्त पर विचार किया। वास्तव में, दूसरे परंतुक में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि [2019] 9 एस. सी. आर. के विपरीत किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

विचाराधीन उपबंधों में कि इस प्रकार वरीयता प्राप्त अपील को "स्वीकार नहीं किया जाएगा"। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा क्षमा किए जाने वाले विलंब की अधिकतम अवधि से संबंधित पहला परंतुक भी "अपील स्वीकार करें" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। हालाँकि, उस अभिव्यक्ति "स्वीकार" का अर्थ अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में अपील दायर करना, स्थापित करना या प्रस्तुत करना है। जबकि,

दूसरे परंतुक में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "स्वीकृत" को अभिव्यक्ति "मनोरंजन" के अनुरूप समझना होगा। हम इस दृष्टिकोण को इस रूप में लेने के लिए इच्छुक हैं कि जिस व्यवस्था में विचाराधीन प्रावधान दिखाई देते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घटना के लिए जिम्मेदार है

पहली बार विचार के लिए अपील को योग्यता के आधार पर या अन्यथा स्वीकार करने और/या अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए,

जैसा कि मामला हो सकता है। उस घटना के घटित होने से पहले, अपीलकर्ता के लिए यह खुला है कि वह कर बकाया जमा करे जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष ऐसी जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करे।

उस समय प्रस्तुत किया गया जब अपील पर विचार किया जाता है, लेकिन अपील दायर करने या प्रस्तुत करने के समय नहीं, इसे बरकरार रखा गया है। 14. यहां तक कि मेसर्स में इस न्यायालय का निर्णय भी। लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (ऊपर), द्वारा बहुत अधिक निर्भर

प्रत्यर्थी-राज्य, हमारे द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण के खिलाफ विरोध नहीं करता है कि उक्त परंतुक का वास्तविक उद्देश्य यह है कि अपीलीय प्राधिकरण योग्यता के आधार पर या अन्यथा सुनवाई के लिए और/या अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अपील पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

मामला हो सकता है, यदि उक्त परंतुक में निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर बकाया के भुगतान का प्रमाण अपीलार्थी द्वारा अपील पर इस तरह के विचार की पहली तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह, नारायण का मामला

चंद्र घोष (उपरोक्त), प्रत्यर्थी के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा, जिसमें न्यायालय ने राय दी है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के तहत एक अपील को "स्वीकार" करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध है, जब तक कि शर्तें और शर्तें पूरी नहीं होती हैं। चूंकि, विचाराधीन दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कर बकाया के भुगतान की आवश्यकता नहीं है

उसमें, अपील दायर करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने के समय, लेकिन एम/एस।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस तरह के भुगतान का प्रमाण किया गया है, अपील की पहली सुनवाई में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है; ऐसा न करने पर अपीलीय प्राधिकरण इसे अस्वीकार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा, बल्कि योग्यता के आधार पर अपील के साथ आगे बढ़ने और संस्थागत दोष के आधार पर उसे सीमा पर अस्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

15. हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए, पक्षों द्वारा या उन पर निर्भर अन्य रिपोर्ट किए गए निर्णयों से निपटना पूरी तरह से अनावश्यक है - अन्य तर्कों से निपटें जिनका हमारे द्वारा किए गए निष्कर्ष पर कोई असर नहीं है।

16. विचाराधीन अपीलों में तथ्यात्मक स्थिति पर लौटते हुए, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी-निर्धारिती ने उस तारीख से पहले निर्दिष्ट कर बकाया जमा कर दिया था, जिस दिन उनके द्वारा योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए पहली बार विचार के लिए अपील की गई थी। ऐसी स्थिति में, संस्थागत दोष के आधार पर अपील को अस्वीकार करने के लिए कथित परंतुक अनुपलब्ध हो जाता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, इन सभी अपीलों को सफल होना चाहिए।

17. विदा लेते समय, हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई व्याख्या का लाभ उठाते हुए, यह संभव है कि कोई बेईमान वादी

(निर्धारिती) सीमा अवधि के भीतर एक अपील दायर कर सकता है लेकिन इसे दोष के तहत रख सकता है ताकि वह अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए आगे न बढ़े। इस तरह की शरारत को दूर करने के लिए, हम मानते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण हर एक मामले को उठाने के लिए बाध्य होगा।

योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए विचार करने और/या पहली बार अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अपील, अपीलीय प्राधिकरण के कार्यालय में इसे दायर करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों के बाद नहीं। इस निर्देश का बिना किसी अपवाद के सभी लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। राजस्व के हितों को ठीक करने और साथ ही कर बकाया की निर्दिष्ट राशि जमा करने के संबंध में परंतुक के अंतर्निहित उद्देश्य को प्रभावी बनाने का यही एकमात्र तरीका है।

18. नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इसके बजाय संबंधित को खारिज करते हुए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करके रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

[2019] 9 एस. सी. आर. के बताए गए परंतुक का पालन न करने के आधार पर अपील।

विचाराधीन प्रावधान। संबंधित अपीलों को अपीलीय प्राधिकरण की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा। वही कानून के अनुसार विचार के लिए आगे बढ़ेगा। सभी लंबित आवेदन हैं -

भी निकाल दिया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील Nos.4098/2016 और 4099/2016

19. इन अपीलों की सुनवाई सिविल अपील के अनुरूप की गई थी।

No.7574/2014। अपीलों के इस समूह में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी-निर्धारिती उनके द्वारा दायर अपील अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज किए जाने के बाद राशि जमा की गई। इस अर्थ में, अपीलार्थी-निर्धारिती कर बकाया के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिसके संबंध में अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील की गई थी जब उनकी अपील को प्रवेश के लिए विचार के लिए लिया गया था। सिविल अपील No.7574/2014 में, हमने अभिनिर्धारित किया है कि प्रवेश और/या अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए अपील की सुनवाई की पहली तारीख से पहले राशि जमा करने के लिए निर्धारिती खुला है। परिणामस्वरूप, अपील की अस्वीकृति के बाद की गई जमा राशि, विचाराधीन बताए गए परंतुक के अधिदेश के आलोक में, अपीलार्थी-निर्धारिती के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को विफल होना चाहिए और इसलिए इन्हें खारिज कर दिया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील No.8452/2016

21. इस अपील की सुनवाई सिविल अपील No.7574/2014 के साथ की गई थी। वर्तमान अपील में, राज्य ने 2015 की रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है और विशेष रूप से, प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता) को एपी वैट अधिनियम, 2005 की धारा 33 के तहत निर्धारित सीमा अवधि समाप्त होने के बाद आवश्यक राशि का भुगतान करने की स्वतंत्रता दी गई है और ऐसी जमा राशि जमा होने पर, अपीलीय प्राधिकरण को इस पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है -

योग्यता पर अपील करें। 22. जिस पृष्ठभूमि में ऐसा निर्देश जारी किया गया था, उसे राज्य द्वारा दायर अपील से समझा जा सकता है। कहने को,

प्रत्यर्थी, जो कार्य अनुबंधों में काम कर रहा था और एपीजीएसटी अधिनियम, 1957 के तहत पंजीकृत था, का मूल्यांकन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया गया था, लेकिन उस मूल्यांकन को वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा 25 मार्च, 2013 को एक संशोधन आदेश पारित करके संशोधित किया गया था। उस निर्णय के खिलाफ, प्रतिवादी-निर्धारिती ने राज्य बिक्री कर मेसर्स के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अपीलीय न्यायाधिकरण। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2013 और 25 मार्च, 2013 को पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर की। उस रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय ने किया है।

निर्णय, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित प्रावधान के दूसरे प्रावधान के संदर्भ में कर बकाया का भुगतान करने की शर्त का पालन करने की स्वतंत्रता के साथ और इस तरह के अनुपालन पर, अपीलीय प्राधिकरण योग्यता के आधार पर लंबित अपील पर निर्णय लेगा।

23. आज निर्णय लिए गए 2014 के सिविल अपील No.7574 में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, इसका पालन करना चाहिए कि यदि द्वारा दायर अपील

प्रतिवादी अभी भी लंबित है और उसे विचार के लिए नहीं लिया गया है। अब तक अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, केवल तभी प्रतिवादी के लिए अपेक्षित राशि जमा करने और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष ऐसी जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। हालाँकि, यदि अपील को गुण-दोष या अन्यथा स्वीकार किए जाने के लिए पहले ही विचार के लिए लिया जा चुका है और उस तारीख तक प्रतिवादी ने बताए गए परंतुक के संदर्भ में निर्धारित आवश्यक राशि जमा नहीं की है, तो अपीलीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में होगा और इसके बजाय एक संस्थागत दोष के आधार पर अपील को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। इसके अलावा

यह देखते हुए कि राज्य द्वारा दायर इस अपील में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

24. हम लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटारा करते हैं। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

2019 की सिविल अपील No.5343

(एसएलपी (सी) No.19961/2015 से बाहर निकलते हुए)

25. छुट्टी दे दी गई।

26. यह अपील 31 अक्टूबर, 2014 को तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें दूसरे प्रतिवादी-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर, 2013 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। अपील को एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी [2019] 9 एस. सी. आर. का भुगतान करने में विफल रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एपी वैट अधिनियम, 2005 की धारा 31 के संदर्भ में साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) विवादित कर की आवश्यकता है। प्रारंभ में, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने 11 जून, 2012 को एक मूल्यांकन आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने 11 जुलाई, 2012 को उक्त मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर की। अपीलकर्ता को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा बुलाया गया था

कम भुगतान को पूरा करने के लिए 12 जुलाई, 2012 का संचार रुपये की राशि में पूर्व-जमा। 1,35,00,512 / -साथ ही संस्थान शुल्क भी। अपीलार्थी ने उक्त संचार का जवाब दाखिल करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी के खाते में Rs.1080,01,63,420/- के योग में एन. पी. यू. टी. कर जमा था और वह राशि केवल राज्य के भीतर कर योग्य खरीद पर भुगतान किए गए कर के संबंध में उत्पन्न होगी। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के ध्यान में लाए गए उस तथ्यात्मक पहलू के बावजूद, इसने 24 जुलाई, 2012 के आदेश के अनुसार पूर्व-जमा राशि का भुगतान न करने की अपील को खारिज कर दिया। यह एक एकतरफा आदेश था।

27. अपीलार्थी ने तब आवश्यक देने के लिए कर क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण को अभ्यावेदन दायर किया

04/2010 से 06/2011 के लिए देय करों के विरुद्ध समायोजन और 18 अक्टूबर, 2011 के न्यायाधिकरण के आदेश की ओर इशारा करते हुए जो बहुत पहले सूचित किया गया था लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने 15 सितंबर, 2012 को मूल्यांकन प्राधिकरण को नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। वाणिज्यिक कर अधिकारी

अंततः, 12 अक्टूबर, 2012 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि अपीलार्थी के पास 5 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। 92,01,606 / - , नकद या समायोजित रूप से धनवापसी के लिए पात्र। 13 अक्टूबर, 2012 को वाणिज्यिक कर अधिकारी ने यह कहते हुए कार्यवाही जारी की कि अपीलार्थी के पास समायोजन या धनवापसी के लिए Rs.66,46,284/- का अतिरिक्त कर क्रेडिट है। 28. अपीलीय उपायुक्त द्वारा 24 जुलाई, 2012 को अपेक्षित विवादित कर राशि का भुगतान न करने के आधार पर अपील को अस्वीकार करने के आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी ने बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी अपील दायर की। पहली अपील को अस्वीकार करने के आदेश को दरकिनार करके और इसके बजाय पहली अपीलीय प्राधिकरण को अपील को बहाल करने और सुनवाई करने का निर्देश देकर इसकी अनुमति दी गई।

अपीलार्थी, 24 जुलाई, 2012 के आदेश के रूप में अपीलार्थी को सुने बिना पारित एक एकतरफा आदेश था।

29. प्रतिप्रेषित कार्यवाही में, अपीलार्थी ने 21 जुलाई, 2013 को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य दायर किया और एम/एस पर विचार करने का अनुरोध किया।

एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

साक्ष्य दें और देय अतिरिक्त भुगतान का समायोजन दें

फिर भी, अपीलीय उपायुक्त ने एक बार फिर खारिज कर दिया जमा-पूर्व भुगतान न करने के लिए 31 दिसंबर, 2013 को अपील

मुख्य रूप से अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपर्युक्त) के निर्णय पर निर्भर राशि। आखिरकार, अपीलार्थी ने चुनौती दी

2013 की रिट याचिका No.847 दायर करके उपरोक्त निर्णय। उस रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में स्पष्टीकरण के आधार पर खारिज कर दिया है।

30. अपीलार्थी की प्रमुख शिकायत यह है कि रिमांड के बाद, पहला अपीलीय प्राधिकरण विशिष्ट रुख पर विचार करने में विफल रहा अपीलार्थी द्वारा कि वह कर क्रेडिट प्रमाणपत्र में उल्लिखित राशि के समायोजन का हकदार था और यदि ऐसा किया जाता है तो अपीलार्थी ने उस राशि का साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) जमा करने की पूर्व शर्त का पालन किया था जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी। हालाँकि, यह याचिका विशेष रूप से अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष ली गई थी, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण के फैसले ने इसका बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया है। इसके बजाय यह

केवल अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में स्पष्टीकरण पर भरोसा करके अपील को खारिज करने के लिए आगे बढ़े। इसी तरह, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विद्वान वकील के इस तर्क को दर्ज करने के बाद, इसका विश्लेषण नहीं किया है और इस आधार पर रिट याचिका को यंत्रवत रूप से खारिज कर दिया है कि अपीलार्थी जमा की पूर्व शर्त का पालन करने में विफल रहा था। उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का यह दृष्टिकोण वर्तमान अपील में हमले का विषय है।

31. हमने पक्षों के वकील को सुना है। जहां तक बात है

अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (ऊपर) में वर्णित कानूनी स्थिति का हम आज तय की गई सिविल अपील No.7574/2014 में पहले ही जवाब दे चुके हैं। उस अपील पर सभी संबंधित मामलों के साथ सुनवाई की गई। वर्तमान मामले में, हालांकि, अतिरिक्त बिंदु जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या

अपीलार्थी कर [2019] 9 एस. सी. आर. में उल्लिखित राशि के समायोजन का हकदार था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के पक्ष में जारी क्रेडिट प्रमाणपत्र। मान लीजिए, अपीलार्थी ने विशेष रूप से उस याचिका को प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष रखा था। हालाँकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पहला अपीलीय प्राधिकरण उस पहलू का विश्लेषण करने में विफल रहा-जो दूसरे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित पहले के आदेश के संदर्भ में और यहां तक कि अन्यथा भी करने की उम्मीद थी। इसके अलावा, यह शिकायत विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका में की गई थी जैसा कि विवादित निर्णय से देखा गया है, अपीलार्थी के तर्क को दर्ज करने वाले निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

इससे आहत होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की जाती है। श्री तेजप्रकाश तोशनीवाल, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, मैसर्स में प्रस्तुत करेंगे। आइडियल डिटोनेटर्स प्रा. लिमिटेड वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी,

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय डिप्टी को निर्देश दिया था

आयुक्त पहले के आदेश को पुनर्जीवित करेंगे और उसका निपटान करेंगे

पक्षकारों को उचित सूचना के बाद योग्यता के आधार पर; फाइटोकेम में

फॉर्मूलेशन लिमिटेड v. वाणिज्यिक कर अधिकारी, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेना वाणिज्यिक कर अधिकारी का दायित्व है। और , यदि याचिकाकर्ता अतिरिक्त राशि का हकदार है, तो उसे एक प्रमाण पत्र/समर्थन जारी किया जाना चाहिए, ताकि राशि को अपील के विज्ञापन मिशन के समय 12.5% की पूर्व जमा राशि के लिए समायोजित किया जा सके; वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया गया था; और, यदि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया था, तो दूसरे प्रतिवादी को अपील स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। सीखा है।

वकील चंद्र प्रकाश गोयल बनाम पर भी भरोसा करेंगे। की स्थिति

हरियाणा, इस संबंध में।

32. हालांकि, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विवादित फैसले में अपीलार्थी द्वारा आग्रह की गई इस विशिष्ट याचिका का जवाब नहीं दिया है। यदि अपीलार्थी यह तर्क देने में सही है कि अपीलार्थी समायोजन का हकदार है -

राशि और यदि ऐसा किया जाता है, तो अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 31 के दूसरे परंतुक द्वारा आवश्यक साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) राशि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपीलार्थी ने उस तर्क को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा भी इसका विश्लेषण और विचार किया जाना बाकी है।

एम/एस। एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

33. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम विवादित फैसले को दरकिनार करना और उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों को खारिज करना उचित समझते हैं।

विधि के अनुसार अपने गुण-दोषों के आधार पर और आज निर्णय किए गए सिविल अपील 2014 में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में रिट याचिका 2014 पर पुनर्विचार करने के लिए। सभी विवाद

रिमांड रिट याचिका में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध होने के लिए खुला छोड़ दिया गया है अपने गुणों और कानून के अनुसार माना जाता है।

34. तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा 31 अक्टूबर, 2014 को लिखित में पारित विवादित निर्णय और आदेश

याचिका No.837/2014 को दरकिनार कर दिया गया है और इसके बजाय रिट याचिका को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया गया है। अब तक की गई टिप्पणियाँ। पार्टियों के लिए उपलब्ध सभी विवादों को खुला छोड़ दिया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है। इस बारे में कोई आदेश नहीं

लागतें।

सिविल अपील No.10670/16

24 फरवरी, 2015 का एक आदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा 53 (3) के तहत जुर्माना लगाया गया है, जिसकी राशि Rs.67,57,696/- है, जो देय कर के 100% के बराबर है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 4 अप्रैल, 2015 को जारी एक प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है और शपथ पर कहा गया है कि मई, 2014 के अंत तक 63,683/- का कर क्रेडिट अपीलार्थी के लिए उपलब्ध है। 7 अप्रैल, 2015 को दायर अतिरिक्त कर और जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में, अपीलकर्ता ने विशेष रूप से एक याचिका दायर की कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और एपी वैट के तहत दायर रिटर्न की तुलना में खाता बही में दर्ज खरीद और बिक्री लेनदेन के बीच कथित भिन्नताओं को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है। विशेष रूप से, अपीलार्थी ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि एक कर मई, 2014 के लिए मासिक विवरणी दाखिल करने के बाद अपीलार्थी के लिए Rs.10,63,683/- का क्रेडिट उपलब्ध है और इस तरह के क्रेडिट को किसी अन्य कर देयता के साथ समायोजित नहीं किया गया है और इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि उक्त क्रेडिट को Rs.67,57,696/- के साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) के लिए समायोजित किया जा सकता है, जो रु. द्वारा लिए गए इस विशिष्ट रुख के बावजूद

शपथपत्र पर अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने यह दावा करते हुए नोटिस जारी किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील धारा 31 के अनुरूप नहीं थी।

9 एस. सी. आर. के साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) के भुगतान का प्रमाण चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण संस्थागत दोष के आधार पर इसकी अपील। उच्च न्यायालय ने अंकम्मा ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। 37. पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अवलोकन पर, यह देखा जाता है कि यहां तक कि

अपीलीय प्राधिकरण ने शपथ पर अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पर ध्यान दिए बिना अपील को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी के लिए 67,683/- का कर क्रेडिट उपलब्ध है और इस तरह के क्रेडिट को किसी अन्य कर देयता के लिए समायोजित नहीं किया गया है और इसे विवादित कर राशि के साढ़े बारह प्रतिशत (57,696/-) के साथ समायोजित किया जा सकता है, जो केवल 3/- रुपये है। अपीलीय का आदेश

प्राधिकरण, जैसा कि अपीलार्थी को सूचित किया गया है, इस प्रकार हैः

" स्थगन याचिका (मुख्य अपील और दंड याचिका) के साथ अपील याचिका को वापस कर दिया जाता है क्योंकि वे धारा के दूसरे प्रावधान के अनुसार नहीं हैं। 31 (1) कारण के लिए एपी वैट, 2005 के नियम 38 के साथ पढ़ा।

" बशर्ते कि इस प्रकार की अपील को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी

संबंधित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक कि विक्रेता देय स्वीकार किए गए कर के भुगतान या ऐसी किश्तों के भुगतान का प्रमाण और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है। 12.5 % संबंधित
कर अवधि के लिए अभिनिर्धारित कर और अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए कर के अंतर का, जिसके संबंध में

अपील को प्राथमिकता दी जाती है। "

इसके अलावा उन्होंने मूल रूप से अपील शुल्क के लिए चालान नहीं भरा है और अपील जमा करने में देरी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र भी नहीं भरा है।

एम/एस। एस. ई. ग्रैफाइट्स प्राइवेट लिमिटेड v. तेलंगाना राज्य और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकार कर दिया गया "।

38. यहां तक कि उच्च न्यायालय भी मामले के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा है। जबकि, यदि अपीलार्थी द्वारा किया गया अभ्यावेदन/अनुरोध उचित है और स्वीकार किए जाने के योग्य है, तो अपीलार्थी इस मामले में सही होगा।

यह तर्क देते हुए कि उक्त राशि के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है

विचाराधीन परंतुक अपीलार्थी द्वारा किए जाने की आवश्यकता थी और इस कारण से, अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को गुण-दोष के आधार पर स्वीकार करने के लिए विचार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उस में, रुपये के कर क्रेडिट को समायोजित करने के लिए अभ्यावेदन स्वीकार करने पर। 10,63,683 / - , द्वारा अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र/समर्थन जारी किया जा सकता है

विभाग ताकि उक्त राशि को साढ़े बारह प्रतिशत (12.5%) सहित कर बकाया की निर्दिष्ट राशि के भुगतान के लिए समायोजित किया जाए। इस समर्पण में बल है। हालाँकि, इसकी जाँच करने के बजाय

इस अपील में अपीलार्थी द्वारा उठाई गई याचिका, हम उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को स्वयं ही इस पर विचार करने के लिए खारिज करना उचित समझते हैं

कानून के अनुसार योग्यता। हम इस फैसले में किसी अन्य विवाद पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं। हम सभी प्रश्न और विवाद छोड़ देते हैं, दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध, उच्च न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए खुला है।

39. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम के विवादित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं

उच्च न्यायालय और 2015 की रिट याचिका No.31393 को बहाल करके उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों को खारिज कर दिया, ताकि उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर नए सिरे से विचार किया जा सके। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील No.3349/2018

40. इस अपील को सिविल अपील No.7574/2014 और अन्य संबंधित मामलों के साथ टैग किया गया था। हालांकि, उन मामलों में, उच्च

अदालत ने रिट याचिका को एकमात्र आधार पर खारिज कर दिया था कि संबंधित रिट याचिकाकर्ता की शर्त का पालन करने में विफल रहा था

विचाराधीन प्रावधान (ओं) के निर्दिष्ट परंतुक के संदर्भ में निर्धारित जमा। इनमें से किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने मूल मूल्यांकन आदेश को चुनौती देने के संबंध में गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया। वर्तमान अपील में, अपीलार्थी को सिविल अपील No.7574/2014 में पहले से तय किए गए प्रश्न

को उत्तेजित करने के लिए नहीं सुना जा सकता है क्योंकि हमारे संज्ञान में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि अपीलार्थी ने 122 जमा किए थे।

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील पर विचार करने की पहली तारीख से पहले एक निर्दिष्ट कर बकाया, जिसके संबंध में अपील दायर की गई थी।

41. हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने मूल आदेश को चुनौती देने के गुण-दोष पर विचार किया है, रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और चूंकि उस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए हम इस अपील को अलग करना उचित समझते हैं और निर्देश देते हैं कि पहली अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश को चुनौती देने पर इसे अलग से सुना जाए। तदनुसार आगे बढ़ने की अपील करें।

दिव्या पांडे